

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली) राज 0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 51/2012
GCMS No. : 2012/00116

-:: प्रार्थीगण ::-

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. उगमा पुत्र करना
2. किशना पुत्र करना
3. नवला पुत्र करना
4. हेमा पुत्र करना
जाति- रावत, निवासी- बस्सी
चैनपुरा(सेवरिया), निवासी-
खराड़ी तहसील जैतारण।

1. मोहनसिंह पुत्र धनसिंह
2. बगती पत्नी धनसिंह
3. भगवानसिंह पुत्र नीमसिंह
जातियान- राजपूत निवासी- बस्सी
चैनपुरा।
4. दयाराम पुत्र चुन्नीलाल सीरवी
5. रतनाराम पुत्र श्रीराम माली
निवासी- रास, तहसील- जैतारण।
6. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसील
जैतारण
7. बाबूसिंह के का०मु०
 - 7/1. छोटी पत्नी बाबूसिंह
 - 7/2. मतीया पुत्री बाबूसिंह
 - 7/3. चौथी पुत्री बाबूसिंह
 - 7/4. लक्ष्मणसिंह पुत्र बाबूसिंह
 - 7/5. सांवरराम पुत्र बाबूसिंह
जातियान- रावत, निवासी- बस्सी
चैनपुरा(सेवरिया), निवासी- खराड़ी
तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रज्: 14/03/2012

- उपस्थित: 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक: 30/03/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बस्सी उर्फ चैनपुरा में खातेदारान् की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 01-13 बीघा, खसरा नम्बर 301 रकबा 02-00 बीघा कुल रकबा 03-13 बीघा स्थित है। उक्त कृषि भूमि सायलान का 1/4 हिस्सा है। हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। सरहद मौजा बस्सी उर्फ चैनपुरा में खातेदारान की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 02-02 बीघा है। उक्त कृषि भूमि में सायलान का 1/4 हिस्सा है तथा हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। सरहद मौजा बस्सी उर्फ चैनपुरा में खातेदारान की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख०न० 286 रकबा 04-08 बीघा, ख०न० 287 रकबा 01-01 बीघा, ख०न० 289 रकबा 01-02 बीघा, ख०न० 290 रकबा 01-09 बीघा, ख०न० 291 रकबा 02-07 बीघा, ख०न० 294 रकबा 00-07 बीघा, किस्म गै०मु० बेरा, ख०न० 295

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

00-15 बीघा किस्म गैरमु० तेड, ख०न० 297 रकबा 02-08 बीघा, ख०न०
 01-13 बीघा, ख०न० 299 रकबा 03-04 बीघा, ख०न० 300 रकबा
 01-19 बीघा, ख०न० 300/317 रकबा 01-02 बीघा, ख०न० 303 रकबा
 02-15 बीघा, ख०न० 292 रकबा 02-00 बीघा कुल खसरा 15 कुल रकबा
 03-12 बीघा है। उक्त कृषि भूमि में सायलान का 1/4 हिस्सा है। इसी हिस्सेनुसार
 काबिज होकर काश्त करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक से तीन में दर्ज कृषि भूमि
 खातेदारान् के सामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसका कानूनन बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड
 वाउण्डस के नहीं हो रखा है। जिसका बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना
 आवश्यक है। सायलान अपनी भूमि काबिज काश्त हेतु खाद बीज मिट्टी डालने हेतु बैंक
 से ऋण लेने की आवश्यकता हुआ तब दिनांक 13.02.2012 को बंटवाड़ा हेतु
 गैरसायलान को कहा तो गैरसायलान् स्पष्ट इन्कार हुये सायलान को उनके हिस्से की
 भूमि से वेदखल करने की धमकी दी तब सायलान ने यह वाद बंटवाड़ा का विरुद्ध
 गैरसायलान के पेश किया है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदारी मे
 दर्ज है गैरसायल संख्या एक व दो ने पद संख्या एक मे दर्ज कृषि भूमि ख०न०
 302, 301 तथा पद संख्या 2 मे दर्ज कृषि भूमि ख०न० 288 तथा पद संख्या
 3 मे दर्ज कृषि भूमि ख०न० 299, 298, 303 के रकबे का 1/8 का 1/2
 अर्थात् 1/16 हिस्से की भूमि को गैरसायल संख्या 4 को बेचान कर दी जो गलत
 व गैरकानूनी है, क्योंकि सामलाती कृषि भूमि को बेचान करने से क्रेता को बिना
 बंटवाड़ा करवाये उस कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं मिलते है वो एक
 अजनबी क्रेता की तारीफ मे आता है। बिना बंटवाड़ा करवाये एक अजनबी क्रेता उक्त
 भूमि के अधिक कीमती भाग जो सडक के पास है, उस पर कब्जा करेगा जिससे
 सायलान् एवं अन्य खातेदारान् के अधिकार भी प्रभावित होंगे इसलिए एक अजनबी
 क्रेता भूमि खरीद किये गये भाग पर ही नहीं सम्पूर्ण भूमि का लाभ उठाने का कार्य
 कर सकता है। इसी प्रकार इन ख०न० की भूमि का भी बंटवाड़ा नहीं हुआ है। एक
 अजनबी क्रेता उक्त कृषि भूमि के किस हिस्से पर कब्जा करेगा निश्चित नहीं हो
 सकता है। ऐसा राजस्व मण्डल द्वारा दिये निर्णयो से भी स्पष्ट है। दौराने प्रार्थनापत्र
 लम्बित गैरसायल संख्या 1, 2, 3 तथा बाबूसिंह पुत्र धनसिंह के वारिसान छोटी
 पत्नी, मथीया, चौथी पुत्रीया, लक्षमणसिंह, सावरसिंह पुत्रान् ने अपने हिस्से की कृषि
 भूमि को दिनांक 07/10/411 को दयाराम पुत्र चुन्नीलाल सीरवी निवासी निम्बेडा
 कलां को बैचान की। उक्त बेचान दौराने प्रार्थनापत्र लम्बित होने से धारा 52टी0पी0
 एक्ट के तहत वर्जित है, नल एण्ड वोर्ड है तथा सायलान् के हितो के विरुद्ध
 बेअसर है तथा इस कृषि भूमि बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा उक्त कृषि भूमि के
 सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी होते
 हुए भी तहसीलदार जैतारण को सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी होते हुए भी म्युटेशन
 संख्या 428, 429 दिनांक 05/11/2014 को क्रेता दयाराम के पक्ष मे स्वीकृत
 किया जो भी गलत व गैरकानूनी है तथा सायलान् के हितो के विरुद्ध बेअसर है,
 जो सायलान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से साबित है। गैरसायल संख्या 1 से 3 ने तथा
 गैरसायल संख्या 7/1 से 7/5 सायलान् को दिनांक 13/02/2012 को यह
 ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि शेष ख०न० की भूमि को

सहायक उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 (पाली)

सायल संख्या 5 रतनाराम को बेचान करने की ऐलानिया धमकी दी यदि गैरसायल संख्या 1 से 3 व अन्य गैरसायल सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि को बिना बंटवाडा करवाये एक स्ट्रेन्जर/अजनबी क्रेता को बेचान कर देते है तो सायलान् को अपने साम्पैतिक हक अधिकारों से महरुम होना पडेगा असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूति किसी कदर संभव नही होगी इसलिए सामलाती भूमि का जब तक कानूनन विधिवत् बंटवाडा न हो तब तक उक्त कृषि भूमि को गैरसायलान् किररी अन्य के पक्ष मे या गैरसायल संख्या रतनाराम के पक्षमे बेचान हस्तान्तरण आदि नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। पद संख्या 1 मे दर्ज कृषि भूमि ख0नं0 302, 301 पद संख्या 2 मे दर्ज कृषि भूमि ख0नं0 288 व पद संख्या 3 मे दर्ज कृषि भूमि में अपने 1/16 हिस्से की बेचान रजिस्ट्री गैरसायल संख्या 4 के पक्ष मे निष्पादित की जब तक विधिवत बंटवाडा न हो तब तक उक्त बैचान रजिस्ट्री को गैरसायल संख्या 6 को समक्ष पेश करे तो तहसीलदार क्रेता के पक्ष में म्युटेशन पारित नही करे इसी प्रकार गैरसायलान बिना बंटवाडा करवाये प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि की बेचान हस्तान्तरण की रजिस्ट्री गैरसायल संख्या 6 उपपंजीयन अधिकारी के समक्ष पेश करे तो उसका पंजीयन नही करे। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जायें। गैरसायल संख्या 1 व 2 तथा बाबूसिंह के वारिसान ने प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि खन 0 302, 301, 288, 298, 299, 303 के रकबे 1/16 हिस्से का बेचान गैरसायल संख्या 4 को जरिये विकय विलेख के दिनांक 18/08/2011 को किया व शेष ख0नं0 की भूमि को भी गैरसायल संख्या 4 को बेचान करने की दिनांक 13/02/2012 को करने की ऐलानिया धमकी दी व यह कहा कि क्रेता को सडक के पास की भूमि कब्जा सुपूर्द करवाउगा तथा इसी बात को अन्जाम देने की नियत से उक्त कृषि भूमि पर आये व यह भी ऐलानिया धमकी दी कि शेष ख & नं 0 की भूमि पर जो भी रोड की भूमि है उस पर तथा कीमती जमीन पर कब्जा करेगे। यदि उक्त कृत्य मे अजनबी क्रेता सफल हो जाते है तो सायलान् को अपने अधिकारो से वंचित होना पडेगा। इसलिए उक्त कृत्यो को रोके जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र सायलान् द्वारा विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदारी में है जिसका कानूनन बंटवाडा नही हो रखा है। बिना बंटवाडा करवाये गैरसायलान् ने प्रार्थनापत्र में वर्णित ख0नं0 301, 302, 288, 298, 299, 303 कुल रकबा 17-07 बीघा के 1/16 हिस्से की भूमि को गैरसायल संख्या चार को बेचान की जो गलत है, गैरसायल संख्या 4 बिना बंटवाडा करवाये उक्त कृषि भूमि एक अजनबी क्रेता है अजनबी क्रेता के नाम म्युटेशन पारित हो जाता है तो एक अजनबी क्रेता उक्त भूमि के उपजाऊ हिस्से पर व सडक के पास की भूमि पर अतिक्रमण कर लेगा जिससे सायलान को असीम हानि होगी तथा गैरसायल संख्या 1 से 3 ने यह भी ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थनापत्र में वर्णित शेष भूमि को हमारे हिस्से की भूमि को गैरसायल संख्या पांच व अन्य के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री करवायेगे। यदि गैरसायलान् अपने मंसुबो मे सफल हो जाते है तो सायलान् को असीम हानि होगी। राजस्व रेकर्ड से तथा गौके की स्थिति से सायलान् के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया व सुविधा का सन्तुलन है इसलिए

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
जंतरण (पाली)

पत्र में वर्णित भूमि बिना बंटवाहा करवाये गैरसायल संख्या पांच व अन्य किसी भी बेचान नहीं करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 से 3 में दर्ज कृषि भूमि के किसी भी भाग की बेचान दस्तावेज गैरसायल संख्या 6 के सम्मक्ष पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करे व पंजीयन कर देवे तो पुराने वादपत्र केता के पक्ष में म्युटेशन पारित नहीं करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में दिनांक 14/03/2012 को न्यायालय हाजा ने उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश दिये थे यथास्थिति होने के बाद भी रेवेन्यु एजेन्सी ने जो क्रेता के पक्ष में म्युटेशन संख्या 428, 429 दिनांक 05/11/2014 को पारित किया जो भी गलत गैरकानूनी सायलान् के हितों के विरुद्ध बेअसर है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व जमाबन्दी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1, 2, 3 में दर्ज कृषि भूमि का जब तक बंटवाहा नहीं हो तब तक गैरसायलान् उक्त कृषि भूमि में अजनबी क्रेता प्रवेश नहीं करे तथा दौराने प्रार्थनापत्र व वादपत्र सामलाती भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन आदि गैरसायलान् नहीं करे एवं सायलान् के कब्जे में किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नहीं करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे। वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 03, 05 व 7/1 से 7/5 बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 व 04 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि राजस्व मौजा बस्सी उर्फ चौनपुरा पटवार हल्का सेवरिया में स्थित होने के कथन सही है तथा इस पद में वर्णित हिस्से को सायलान स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित भूमि राजस्व मौजा बस्सी उर्फ चौनपुरा पटवार हल्का सेवरिया में स्थित होने के कथन सही है तथा इस पद में वर्णित हिस्से को सायलान स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित भूमि राजस्व मौजा बस्सी उर्फ चैनपुरा पटवार हल्का सेवरिया में स्थित होने के कथन सही है तथा इस पद में वर्णित हिस्से को सायलान स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है उक्त भूमि सायलान व गैरसायलान सभी के बीच लगभग 50 वर्ष पूर्व से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है व माफिक हिस्से अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर के काश्त करते आ रहे है। इसी अनुरूप मौके पर अलग अलग माटे कायम करते हुये खन्दक लगाई जाकर तारबंदीयां भी की हुई है तथा आपसी सहमति से बंटवाहा करने के उपरान्त सहमति से ही नाप चौप कर मौके पर वर्षों पूर्व पत्थरगढी व नेखमबंदी की हुई हैं एवं इस भूमि पर नये सिरे बंटवाहा किये जाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। सायलान उमदनदहचाहे तो अपने हक हिस्से की भूमि को बैंक में मोरगेज रखकर ऋण भी प्राप्त कर सकते है

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सायलान (पाली)

उसमें किसी भी हिस्सेदार को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। उसके बावजूद भी आज दिन तक बंटवाड़ा व नाप चौप को लेकर पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ है। दिनांक 13.02.2012 को बंटवाड़ा की बात को लेकर के विवाद होने के तथ्य भी झूठे लिखे गये हैं। सायलान ने झूठे तथ्यों का समावेश कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित यह तथ्य सही है कि- इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 302, 301 कुल खसरा-02 कुल रकबा 3-13 बीघा व खसरा नम्बर 288 रकबा 2-02 बीघा व इसी प्रकार खसरा नम्बर 299, 298, 303, कुल खसरा- 03 कुल रकबा 7-12 बीघा में से भूमि के खातेदार मोहनसिंह व बगती जो कि इस प्रार्थना पत्र में गैरसायलान संख्या 04 व 05 है, उक्त मोहनसिंह व बगती ने इसी माफिक खसरा नम्बर 286, 287, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 300, 300/317, 292, कुल खसरा-12 कुल रकबा 26-00 में से मोहनसिंह ने अपने 1/16 वें हक हिस्से की भूमि का बेचान व इसी भूमि के खातेदार भगवानसिंह व बाबूसिंह के वारिसान ने भी अपने 1/16 वें हिस्से की भूमि का बेचान गैरसायलान संख्या 20 दयाराम सिरवी को कर दिया है व बेचाननामा भी उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के कार्यालय से पंजीबद्ध करवाया जा चुका है माफिक बेचान के अनुसार मौके पर भूमि का कब्जा भी खरीददार दयाराम को सौंपा जा चुका है। इस प्रकार से विक्रेतागण द्वारा क्रेता दयाराम के पक्ष में किया गया उक्त बेचान सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिक है तथा विक्रेतागण द्वारा किये गये इस बेचान से सायलान के हक व अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है माफिक खरीद के अनुसार दयाराम ने भूमि का कब्जा भी मौके पर प्राप्त कर लिया है जो विक्रेतागण ने मौके पर साथ चलकर के पूर्व में जहां पर विक्रेतागण का कब्जा था, उसी भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता दयाराम को सौंपा है, इस प्रकार से उक्त बेचान विशिष्ट भूभाग का नहीं होकर के विक्रेतागण की सम्पूर्ण हक हिस्से की भूमि का किया गया है। जिस पर कोई विधिक रुकावट या अड़चन भी नहीं है। वर्तमान में खरीददार स्वयं का मौके पर कब्जा है, इसलिए वह अजनबी क्रेता कीतारीफ में भी नहीं आता है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित असत्य होने से अस्वीकार है। दिनांक 13.02.2012 को या अन्य किसी तारीख को भी सायलान या जबाब देहन्दागण के बीच किसी तरह से कोई बातचीत या विवाद नहीं हुआ है, न ही भूमि अजनबी क्रेता को बेचान किये जाने का यह मामला है। सायलान ने झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है सायलान की भूमि मौके पर पृथक से स्थित है जिस पर सायलान का माफिक हक हिस्से अनुसार कब्जा भी है एवं जवाब देहन्दा दयाराम का खरीद की गई भूमि पर पृथक से कब्जा है। गैरसायलान संख्या 21 का उल्लेख सायलान ने झूठ किया है, गैरसायलान संख्या 21 का इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। भूमि के खातेदार द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान गैरसायलान संख्या 20 को करने से सायलान के

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

व अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ा है न ही सायलान को किसी प्रकार की कोई क्षति ही हुई है। भविष्य में सायलान को कोई क्षति होने का कोई न्देशा नहीं हैं सायलान ने झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए सायलान जबाब देहन्दागण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन की असत्य होने से अस्वीकार हैं जब सम्पति हस्तान्तरण अधीनियम के प्रावधानों अनुसार विधिक रूप से बेचाननामा निष्पादित हो चुका है, तो अब नामान्तरणकरण की कार्यवाही रोके जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती हैं न ही सायलान इस प्रकार से नामान्तरणकरण की कार्यवाही रूकवाने के अधिकारी ही है। नामान्तरणकरण की कार्यवाही से न तो किसी पक्षकार को कोई हक व अधिकार प्राप्त होते है, न ही समाप्त होते है, बल्कि कानूनी पेचिदगियां नहीं बढे इसी मंशा से नामान्तरणकरण की कार्यवाही की जाती है इस प्रकरण में भी जो बेचाननामा निष्पादित हुआ है, उससे सायलान प्रभावित नहीं हो रहे है, तो नामान्तरणकरण की कार्यवाही को रोका जाना कतई न्यायोचित नहीं है, इसलिए भी सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। का यह बन्दकमक8 यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 8 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जब सम्पति हस्तान्तरण अधीनियम के प्रावधानों अनुसार विधिक रूप से बेचाननामा निष्पादित हो चुका है, तो अब नामान्तरणकरण की कार्यवाही रोके जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती हैं। दिनांक 13.02.2012 को सायलान व जबाब देहन्दागण के बीच कोई विवाद नहीं हुआ है। बेचान की गई भूमि का कब्जा बेचान के साथ ही विक्रेता द्वारा क्रेता को सौंपा जा चुका है इसी माफिक दयाराम ने मौके पर कब्जा भी प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार से भूमि के कब्जे को लेकर के भी कोई विवाद नहीं है। इस प्रकरण में भी जो बेचाननामा निष्पादित हुआ है, उससे सायलान प्रभावित नहीं हो रहे है तो नामान्तरणकरण की कार्यवाही को रोका जाना कतई न्यायोचित नहीं है, व मौके पर जबाब देहन्दागण दयाराम का कब्जा व हक अधिकार भी बतौर खातेदार काश्तकार कायम है, तो दयाराम के विरुद्ध सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है, इसलिए भी सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 09 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में नहीं होकर के गैरसायल के पक्ष में है एवं भूमि मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। इसलिए सायलान को किसी प्रकार की कोई क्षति भी नहीं हो रही है। इसलिए आधार पर भी सायलान को गैरसायलान से किसी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं होता है सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे।

सहायक कमिश्नर-पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली गय दरतावेजात, हस्ता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात के अवलोकन व विधिक प्रारिथति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार

01) **प्रथम दृष्ट्या मामला :-** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बन्द्याड़ा बाबत न्यायालय लिहाजा में वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। चूंकि अपने हक हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार को सहखातेदारी भूमि की कानूनन बंटवाहे का अधिकार होता है, साथ पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजात से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसका बन्द्याड़ा करवाये बिना अप्रार्थीगण द्वारा बैचान किया गया है, जिससे सहखातेदारान् के मध्य मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलन :-** चूंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रत्येक सहखातेदारी अपने हक हिस्से तक ऐसी सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा माना जाता हैं। लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति :-** चूंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान द्वारा बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये अविभाजित भूमि का हस्तान्तरण किया गया है तथा यह भी सम्भावना रहती है कि ऐसा आगे भी किया जा सकता है तथा यदि ऐसा होता है तो वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति तथा प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है। जिसकी अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को ही होना स्वाभाविक है।


अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान् को ताफैसला वाद बैचान एवं हस्तान्तरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

:- आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बस्ती उर्फ चैनपुरा पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण के खसरा खसरा नम्बर 302 रकबा 01-13 बीघा, खसरा नम्बर 301 रकबा 02-00 बीघा, खसरा नम्बर 288 रकबा 02-02 बीघा, ख0न0 286 रकबा 04-08 बीघा, ख0न0 287 रकबा 01-01 बीघा, ख0न0 289 रकबा 01-02 बीघा, ख0न0 290 रकबा 01-09 बीघा, ख0न0 291 रकबा 02-07 बीघा, ख0न0 294 रकबा 00-07


सहायक जलसंचयन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

किस्म गै०मु० बेरा, ख०न० 295 रकबा 00-15 बीघा किस्म गै०मु० तेड,
 0न० 297 रकबा 02-08 बीघा, ख०न० 298 रकबा 01-13 बीघा, ख०न०
 99 रकबा 03-04 बीघा, ख०न० 300 रकबा 01-19 बीघा, ख०न० 300/317
 रकबा 01-02 बीघा, ख०न० 303 रकबा 02-15 बीघा, ख०न० 292 रकबा
 2-00 बीघा का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में किसी
 कार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम
 कर दाखिल दफ्तर हो।


 सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी जैतारण
 जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।




 सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी जैतारण
 जैतारण (पाली)